प्रस्तावित वक्तागण

डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय, मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन, भारत सरकार)

श्री गोपाल व्यास जी, संरक्षक, सक्षम, छ.ग. राज्य

जस्टिस श्री रमेश गर्ग, इंदौर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद्

डॉ. माहेश्वरी, प्राध्यापक, अमलनेर, जलगाँव (महाराष्ट्र)

श्री आर. प्रसन्ना, (भा.प्र.से.) विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन

डॉ. जितेन्द्र जैन, उप महाधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश

डॉ. सुरेन्द्र शुक्ला, प्रांतीय अध्यक्ष, सक्षम, छ.ग. राज्य

श्री आशीष सिंह ठाकुर, SSPOS भारतीय डाक सेवा, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. सुकुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सक्षम, नागपुर (महाराष्ट्र)

डॉ. संतोष, सह संयोजक CAMBA हैदराबाद (तेलंगाना)

डॉ. पवन स्थापक, नेत्ररोग विशेषज्ञ, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. प्रभात कुमार श्रीवास्तव, पैथोलॉजिस्ट, बिलासपुर (छ.ग.)

श्री विवेक तन्खा, पूर्व महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. मदन मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद् बिलासपुर (छ.ग.)

श्री विरेन्द्र पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग (म.प्र.)

श्री राजेद्र कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष फार्मेसी काउन्सिल, छ.ग. शासन, रायपुर

डॉ. डी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ चिकित्सक एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद् बिलासपुर (छ.ग.)

एक नजर - विश्वविद्यालय एवं आयोजक

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा की गई है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। राज्य में इस विश्वविद्यालय के 07 क्षेत्रीय-केंद्र - बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, जशपुर तथा कांकेर है। विश्वविद्यालय के संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 153 अध्ययन-केंद्र संचालित हैं। विश्वविद्यालय इन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक गुणवत्तायुक्त उच्च-शिक्षा प्रदान कर रहा है।

अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद् बिलासपुर : दिव्यांगता के समस्त आयामों तथा दिव्यांगों के प्रति सामाजिक चेतना जागरुक करने की दिशा में परिषद् विगत कई वर्षों से प्रयत्नशील तथा संघर्षरत् है। परिषद् द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी विकलांग एवं प्रजातंत्र पर चर्चा एवं अभिमांग, राजनैतिक दलों से विकलांग प्रकोष्ठ बनाने का आग्रह, नि:शक्तजन हितार्थ किए जा सकने वाले 121 कार्यक्रमों का प्रकाशन नि:शक्त चेतना ग्रंथ 1 से 6 तक का प्रकाशन, विकलांग विमर्श का वैश्विक परिदृश्य आदि अनगिनत साहित्य का प्रकाशन कराया गया है। परिषद् के द्वारा समय-समय पर विकलांग सामूहिक युवक-युवती परिचय सम्मेलन, विकलांग शल्य-शिविर, कृत्रिम पैर एवं कैलीपर्स वितरण शिविर, चेतना कार्यशाला, आदि का आयोजन सतत् रुप से किया जाता है।

सक्षम : समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल नि:शक्तजनों के संपूर्ण विकास हेतु समर्पित राष्ट्रीय सामाजिक संगठन है।

मुख्य संरक्षक

डॉ. बंश गोपाल सिंह, कुलपति
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. डी.पी. अग्रवाल, संरक्षक
अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद्, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. राजकुमार सचदेव, कुलसचिव
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

श्री अनूप कुमार पाण्डेय, प्रांतीय महामंत्री
सक्षम, छत्तीसगढ़

संयोजक

डॉ. बीना सिंह
डॉ. अनिता सिंह
डॉ. प्रकृति जेम्स

आयोजन समिति के सदस्य

डॉ. बी.एल.गोयल
डॉ. गौरी शर्मा
डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
डॉ. रुचि त्रिपाठी
डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
श्री रेशमलाल प्रधान
डॉ. एस.रुपेन्द्र राव
डॉ. पुष्कर दुबे
संजीव लवानियॉ
डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी

पंजीयन एवं अन्य विवरण हेतु संपर्क-सूत्र

डॉ. बीना सिंह — Mob. : 88390-17319
e-mail : drbeenasingh2013@gmail.com

डॉ. अनिता सिंह — Mob. : 98271-18808
e-mail : 31anitasingh@gmail.com

डॉ. प्रकृति जेम्स — Mob. : 9993450848
e-mail : jamesprakriti@gmail.com

बिलासपुर आगमन

बिलासपुर आगमन : बिलासपुर ट्रेन मार्ग से देश के सभी शहरों से जुड़ा है। यह हावड़ा-मुम्बई मुख्य मार्ग पर स्थित है। हवाई मार्ग हेतु नजदीक एयरपोर्ट रायपुर 130 किलोमीटर दूर है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

19-20 जनवरी, 2019

विषय

दिव्यांगता : चुनौती एवं सामाजिक स्वीकार्यता

- आयोजक -

शिक्षा विभाग
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद्
बिलासपुर (छ.ग.)

सक्षम
समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल

- आयोजन स्थल -

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी-बिरकोना मार्ग, ग्राम - बिरकोना, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
पिन कोड - 495009

www.pssou.ac.in

संगोष्ठी के विषय में

हमारा संविधान दिव्यांगजनों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो सामाजिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण दिव्यांगजनों का आज भी समाज में समानता का नहीं, व्यवहार का नहीं बल्कि उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, दिव्यांगजनों के प्रति सामान्य वर्ग उपेक्षित व्यवहार, सामाजिक अस्वीकार्यता, रुढ़िवादी धारणाओं के कारण दिव्यांगजनों की क्षमता व कौशल का सही उपयोग व मूल्यांकन नहीं हो पाता और वे अपने को अन्य वर्ग से अलग मान कर हीनभावना का शिकार हो जाते हैं। दिव्यांगता को समझने व सामान्य व्यक्तियों के साथ परिवेश में समावेश करने हेतु हमें प्रतिदिन दिव्यांगता से संबंधित नवीन अवधारणाओं को समझने व क्रियाशील करने की जरुरत है ताकि पुरानी विचारधाराएँ नाकारात्मक मनोभाव व अनुभव प्रकट न हो सके।

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को एक अलग विभाग बनाया जिसका उद्देश्य है - एक समस्त समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें दिव्यांगजनों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे सृजनात्मक, सुरक्षित और प्रतिष्ठित जीवन जी सकने में समर्थ हो सके।

निःशक्त व्यक्ति अधिकार (PWD) अधिनियम (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 के प्रावधानों के अनुरुप दोहरे उद्देश्यों सहित, उसके सही कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो 19/04/2017 से प्रभाव में आया है। यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा रोजगार और पूर्नवास के माध्यम से दिव्यांगजन के पूर्ण और प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने के उपाय उपलब्ध कराता है।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य केंद्र बिंदु दिव्यांगों को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने के पक्ष में उठाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कदम, दिव्यांगों के अधिकार एवं अधिकारों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियाँ। उनके संघर्ष तथा उपलब्धियाँ। उनके पूर्नवास में शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं की भूमिका। तकनीक का उनके जीवन में योगदान तथा अपराध जगत् में उनका इस्तेमाल संबंधी महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेषज्ञों से नवीन ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके क्रियान्वयन से समाज की भूमिका करने का प्रयास होगा।

संगोष्ठी की विषयवस्तु

- दिव्यांगता के प्रकार
- दिव्यांग विमर्श
- समावेशी शिक्षा
- विशेष शिक्षा
- दिव्यांगता एवं अपराध
- दिव्यांगता एवं प्रजातंत्र
- दिव्यांगों का पूर्नवास
- नेत्रदान : श्रेष्ठदान
- 9 दिव्यांगों की सामाजिक स्वीकार्यता
- 10 दिव्यांगता में तकनीकी योगदान
- 11 दिव्यांगों में सेवा संस्थानों की भूमिका
- 12 दिव्यांगता चिकित्सा एवं उपचार
- 13 दिव्यांगता और मनोविज्ञान
- 14 दिव्यांगता एवं आत्म-विश्वास
- 15 विकलांगकता अधिनियम दिसं. 2016
- 16 दिव्यांगों हेतु सरकारी योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन

विशेष

टी.ए./डी.ए. एवं आवास व्यवस्था : प्रतिभागी अपनी यात्रा व्यय की व्यवस्था अपनी संस्थानों से करेंगे तथापि राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनके भोजन एवं यातायात की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। आवास व्यवस्था हेतु प्रतिभागियों को पूर्व में सूचित करना होगा जिससे कि उनके लिए सशुल्क आवास व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, अन्यथा आवास व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी।

संगोष्ठी के विभिन्न गतिविधियों हेतु आमंत्रण

(1) प्रादर्श : प्रतिभागियों के द्वारा संगोष्ठी की विषयवस्तु से संबंधित प्रादर्श (Model) आमंत्रित किए जाते हैं। प्रादर्श के पंजीयन हेतु दिनांक 05 जनवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में 'परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन' के कक्ष क्र. 07 में संपर्क करें। क्रमशः तीन प्रादर्श को पुरस्कृत किया जावेगा।

(2) विक्रय स्टॉल : दिव्यांग बन्धुओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्टॉल आमंत्रित किए जाते हैं। विक्रय स्टॉल के पंजीयन हेतु दिनांक 10 जनवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में 'परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन' के कक्ष क्र. 07 में संपर्क करें।

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ललित कला प्रदर्शन : दिव्यांग प्रतिभागियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ललित कला प्रदर्शन हेतु पंजीयन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रतिभागी पंजीयन हेतु दिनांक 07 जनवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में 'परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन' के कक्ष क्र. : 08 . में संपर्क करें। क्रमशः तीन प्रस्तुतियों को पुरस्कृत किया जावेगा।

शोध-आलेख सारांश हेतु निर्देश -

इच्छुक प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपना शोध-आलेख सारांश (Abstract) अधिकतम 300 शब्दों में दिनाँक 05 जनवरी, 2019 तक pwdnationalseminar@gmail.com पर भेजें।

शोध-आलेख सारांश निम्नानुसार फॉन्ट में भेजें -

हिंदी हेतु	कृतिदेव 11	(Font Size-14)
अँग्रेज़ी हेतु	Times New Roman	(Font Size-12)

- शोध-आलेख सारांश उपरोक्त फॉन्ट के अलावा अन्य फॉन्ट में स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
- आलेख सारांश भेजने की अंतिम तिथि : दिनाँक 05 जनवरी, 2019
- पोस्टर प्रस्तुतिकरण हेतु प्रतिभागी 05 जनवरी, 2019 तक अपना पंजीयन करावें।
- विद्यार्थियों के द्वारा संगोष्ठी की विषयवस्तु से संबंधित प्रादर्श (Model) आमंत्रित किए जाते है। प्रादर्श की पंजीयन हेतु दिनांक 10 जनवरी, 2019 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय में संपर्क करें। तीन सर्वश्रेष्ठ प्रादर्श को पुरस्कृत किया जाएगा।

पंजीयन-प्रक्रिया

1. संगोष्ठी में दिव्यांग, सामान्य छात्र, शिक्षक, सामाजिक संस्थाएँ प्रतिभागी हो सकते है।
2. इच्छुक प्रतिभागी पंजीयन प्रपत्र, पंजीयन शुल्क के साथ दिनांक 05 जनवरी, 2019 तक जमा करना अनिवार्य होगा।
3. पंजीयन शुल्क नगद जमा करने की सुविधा विश्वविद्यालय मुख्यालय में 'महामाया परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन' के कक्ष क्र. 08 में दिनांक 05 जनवरी, 2019 तक उपलब्ध रहेगी।
4. स्थल पंजीयन शुल्क नगद जमा करने की सुविधा विश्वविद्यालय में आयोजन स्थल के पंजीयन काउंटर में दिनांक 19 जनवरी, 2019 को उपलब्ध रहेगी।
5. स्थल पंजीयन कराने वाले प्रतिभागीयों को पंजीयन-किट प्रदान नहीं किया जावेगा। उन्हें केवल प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा।
6. ऑनलाइन एवं चालान द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक ऑफ बडौदा खाता क्र.: 58100100001059 (IFSC Code: BARB0BIRKON MICR - 495012006) में जमा कर सकते है। (zero)

पंजीयन शुल्क :

क्र.	पंजीयन शुल्क का विवरण	05 जनवरी तक	स्थल पंजीयन
1	दिव्यांगों हेतु	निःशुल्क	निःशुल्क
2	प्राध्यापक गण / अन्य	600/-	800/-
3	विद्यार्थी / शोधार्थी	400/-	600/-

पंजीयन-प्रपत्र

नाम : .....

पदनाम : ..... लिंग : .....

संस्था का नाम : .....

दिव्यांगता है, तो दिव्यांगता का प्रकार / स्वरुप : .....

पता : .....

..... मोबा. : .....

ई-मेल : .....

शोध-पत्र का शीर्षक : .....

क्या आप निम्न गतिविधियों में भाग लेना चाहते है?(केवल दिव्यांग हेतु) - प्रादर्श, विक्रय स्टॉल, सांस्कृतिक एवं ललित कला प्रदर्शन, प्रतियोगिता यदि हाँ, तो विवरण दें : .....

.....

क्या आपको आवास की आवश्यकता है? हाँ / नहीं : .....

भुगतान की कुल राशि (रु.में) : .....

भुगतान का माध्यम (नगद / डिमांड ड्राफ्ट / चालान).....

रसीद क्र. ..... ड्राफ्ट क्र. ..... चालान क्र. .....

बैंक का नाम : ..... दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....

भरा हुआ पंजीयन प्रपत्र सशुल्क पंजीयनकर्ता के पास जमा करायें। यदि आवश्यक हो तो पंजीयन फॉर्म की छायाप्रति का उपयोग पंजीयन हेतु किया जा सकता है। प्रतिभागीगण संगोष्ठी में पंजीयन के लिए पंजीयन प्रपत्र एवं चालान प्रारुप वेबसाइट www.pssou.ac.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।